

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक – एफ.3(ग)ए.सी.पी./85-गा/अलेसे-ग/14980-४३

दिनांक – २१.०१.२०१३

कार्यालय आदेश संख्या २६२/२०१२-१३

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.11 (7) एफडी/रूल्स/2008/दिनांक 12.09.08 एवं दिनांक 06.10.08 एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ-14(४८)एफडी(नियम) 2008-। दिनांक 31.12.09 के अनुसरण में निम्नांकित लेखाकारों जिन्होंने कनिष्ठ लेखाकार के पद पर आपातकालीन परीक्षा 1985 उत्तीर्ण कर कार्यग्रहण किया था तथा जिन्होंने 27 वर्ष एवं अधिक की राजकीय सेवा निस्तर एवं संतोषजनक पूर्ण कर ली है को उनके नाम के सामने अंकित कोलम संख्या ५ में उल्लेखित दिनांक से कनिष्ठ लेखाकार के पद का तुरीय ए.सी.पी. पी.बी.-२, ९३००-३४८०० पे-बैंड पर ग्रेड-पे ४८०० स्वीकृत किया जाता है।

क्र. सं	नाम लेखाकार (संबंधी)	जन्मतिथि	प्राप्त कार्यग्रहण तिथि	ए.सी.पी. स्वीकृति दिनांक	पिरेन विवरण
१	२	३	४	५	६
१.	राधाकृष्ण भार्गव	०१.०५.१९५३	१२.०८.१९८५	१२.०८.२०१२	
२.	दिव्यांशु पुरुषोऽनि	०७.०५.१९५७	१२.०८.१९८५	१२.०८.२०१२	

उपरोक्त लेखाकारों के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.14 (४८) एफडी (नियम) 2008-। दिनांक 31.12.08 में दी हुई शर्तों के सम्बन्ध में संतोषजनक सेवा सम्बन्धी प्रमाण पत्र व सन्तान सम्बन्धी घोषणा प्राप्ति के आधार पर ए.सी.पी. स्वीकृत किया जाता है।

उपरोक्त लेखाकारों के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन द्वारा स्पष्टीकरण के आधार पर गत वर्षों की प्राप्त एपीएआर व संतोषजनक सेवा एवं प्रमाण पत्र प्राप्त ढोने के आधार पर उक्त ए.सी.पी. हस्त शर्त पर स्वीकृत किया जाता है कि भविष्य में प्राप्त उक्त जयधि के वार्षिक यार्थमूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रतिकूल प्रविष्टि ढोने पर प्रकरण पुनः खोला जावेगा तथा वार्षिक कार्यमूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर ए.सी.पी. स्वीकृति के बारे में निर्णय लिया जाकर तदानुसार संशोधित कर दिया जावेगा।

उपरोक्त लेखाकारों का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के उक्त आदेश दिनांक 12.09.2008 के पैरा 19. आदेश दिनांक 06.10.2008 एवं एफ-14(४८)एफडी(नियम) 2008-। दिनांक 31.12.2009 के अनुसार सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। इस स्वीकृति व वेतन निर्धारण की प्रविष्टि आवश्यक रूप से सम्बन्धित लेखाकारों की सेवापुस्तिका में की जावे। वेतन निर्धारण से पूर्व सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि सम्बन्धित लेखाकार ए.सी.पी. स्वीकृत तिथि को राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीकृत वेतनमान) 2008 में पे-ग्रेड 4200 में वेतन प्राप्त कर रहे हैं तथा ए.सी.पी. स्वीकृत तिथि को इनके विरुद्ध कोई विभागीय जांच लम्बित नहीं है। सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह भी सुनिश्चित कर लिया जावे कि सम्बन्धित लेखाकार को कनिष्ठ लेखाकार के पद पर वेतन नियतन किये जाते समय २८ ए का लाभ नहीं दिया गया है।

dpb
निदेशक

क्रमांक – एफ.3(ग)ए.सी.पी./85-गा/अलेसे-ग/14980-४३

दिनांक – २१.०१.२०१३

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

१. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष
२. श्री..... लेखाकार कार्यालय
३. निजी सहायक निदेशक महोदय।
४. निजी पत्रावली मूल आवेदन सहित/गार्ड फार्म/गोपनीय अनुभाग/कम्प्यूटर अनुभाग/वेसाईट हेतु ACP ORDER

Shm
अधिसिक्षा निदेशक (प्रार्थित - १)